उपतहसीलदार तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्या : 730/14

सरकार जरिये
पटवार हल्का रायता

बनाम

निर्णय दिनांक: 30/10/14

श्री सोहनलाल पि० नानालाल ब्राह्मण नि० उटपेनकला

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम आवलहेड़ा पर पेश हुई। संक्षेप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का .... ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की, कि श्री सोहनलाल पि० नानालाल ब्राह्मण ने तहसील बेगूं के ग्राम ऊटकला में स्थित आराजी नम्बर 397/1 40/1 रकबा 0.800 है0 किस्म भूमि बंजड़ पर दौर ने संवत 2071 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रनी के विरूद्व प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 (3) एल.आर.एक्ट में ज़ारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम ऊटकला में स्थित खसरा नम्बर 397/1 रकवा 0.800 है0 किस्म भूमि बंजड़ से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 5.00 रूपये का 50 गुणा राशि 250/- रूपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो।

निर्णय सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपतहसीलदार
बेगूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Lal Yadav
Date: 2025.12.12 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested